प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 7094/2008

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी:

खोरबहरा, पिता गोविंद हलवा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी भुरका भाट, तहसील डौंडी लोहारा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी/वादी:

1. प्रेम सिंह, पिता राम सिंह, आयु लगभग 64 वर्ष

प्रतिवादी:

2. राम करण, पिता भुनुराम हलवा, आयु लगभग 62 वर्ष

   (1 एवं 2, निवासी ग्राम भुरका भाट, तहसील डौंडी लोहारा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री बी.पी. गुप्ता, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3/राज्य के लिए श्री प्रसून भादुडी, पैनल अधिवक्ता।

-- मौखिक आदेश --

(दिनांक 19.12.2008)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया:

तर्कों का श्रवण किया गया।

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 6ए-2008 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2008 की विधिमान्यता को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह रिट याचिका प्रस्तुत की है। वह आदेश के उस भाग से व्यथित है, जिसके द्वारा उसके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8, नियम 1-ए (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि पूर्वोक्त आवेदन वाद-प्रश्न (इश्यू) विरचित करने से पूर्व प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि दिनांक 24.09.2008 को उक्त आवेदन खारिज होने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दिनांक 13.10.2008 को वाद-प्रश्न विरचित करने हेतु प्रकरण नियत किया था।

श्री गुप्ता ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने ऐसे आवेदन को इस आधार पर खारिज करते हुए विधिक त्रुटि की है कि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मूल प्रति नहीं थे या ऐसी प्रतियां नहीं थीं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य हों। उन्होंने तर्क दिया कि यह विचारण न्यायाधीश के लिए दस्तावेजों की ग्राह्यता देखने का चरण नहीं था क्योंकि वह प्रश्न साक्ष्य के समय उठाया जा सकता था जब संबंधित पक्षकार द्वारा दस्तावेजों को प्रदर्शांकित कराया जाता।

मैंने रिट याचिका की अंतर्वस्तु के साथ-साथ आक्षेपित आदेश और रिट याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश 8, नियम 1-ए (3) यह उपबंध करता है कि "ऐसा दस्तावेज जिसे इस नियम के अधीन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किन्तु इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय की इजाजत के बिना, वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से शासक साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।"

इसका अर्थ यह है कि, पूर्वोक्त उप-नियम के उपबंधों के अनुसार, प्रतिवादी अपने तर्क के समर्थन में न्यायालय की अनुमति से दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था और न्यायालय ने उन दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थे।

किसी दस्तावेज की ग्राह्यता के प्रश्न का परीक्षण विधिक न्यायालय द्वारा उस समय किया जाना चाहिए जब उसे साक्ष्य के लिए स्वीकार किया जा रहा हो, न कि पक्षकार के अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय।

इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में, अधीनस्थ न्यायालय का याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के आवेदन को दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के चरण पर दस्तावेजों की अग्राह्यता के आधार पर खारिज करना न्यायसंगत नहीं था।

परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश, जहाँ तक वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8, नियम 1-ए (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने से संबंधित है, एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाता है। तथापि, यह निर्धारित किया जाता है कि इस बार, प्रतिवादी यह ध्यान रखेगा कि वह वे दस्तावेज प्रस्तुत करे जो साक्ष्य में विधिक रूप से ग्राह्य हों, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा साक्ष्य दर्ज करने और दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित करने के समय कोई जटिलता उत्पन्न न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका अंततः निराकृत की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, अर्थात विरोधी पक्षकार की अनुपस्थिति में पारित किया गया है; इसलिए, विरोधी पक्षकार को

यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि वे इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो वे उचित मंच पर इस न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत उठा सकते हैं।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur